अब कुछ और निर्यातकों को भी दायित्व-पत्र प्रस्तुत करने की सुविधा दी गई

छोटे निर्यातकों ने आवश्यक बैंक गारंटी के साथ बांड प्रस्तुत करने में हो रही भारी कठिनाइयों से सरकार को अवगत करा दिया है। वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के तहत निर्यात को सुगम बनाने के लिए यह निर्णय लिया गया है कि वस्तुओं या सेवाओं अथवा इन दोनों के निर्यात के लिए बांड के स्थान पर दायित्व-पत्र अथवा वचन-पत्र (लेटर ऑफ अंडरटेकिंग) प्रस्तुत करने की सुविधा निर्यातकों को दी जाएगी और इसके लिए बैंक गारंटी की आवश्यकता नहीं होगी। इसके लिए संबंधित अधिसूचना को उचित समय पर जारी कर दिया जाएगा।

इस कदम से नकद राशि अटक जाने का मसला आंशिक रूप से सुलझ जाने की उम्मीद है। अभी कुछ और भी उपाय विचाराधीन हैं।

***

वीके/आरआरएस/एसएस - 4001